न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 127 / 2019

1 हरदयाल सिंह पुत्र सलसिंह।
2 श्रीमती नन्द कंवर सलसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम दूजोद तहसील धोद जिला सीकर राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1 दुर्गाप्रसाद पुत्र जीवनराम।
2 पवन कुमार पुत्र गोपाल।
3 आंची देवी बेवा गोपाल समस्त जाति धोबी निवासीगण ग्राम दूजोद तहसील धोद जिला सीकर।
4 उपपंजीयक धोद जिला सीकर।
5 तहसीलदार धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय दिनांक 30.09.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर उनवानी आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम हरदयाल सिंह बनाम दुर्गाप्रसाद आदि मुकदमा संख्या 43 / 2014 जिसके तहत अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री कैलाश सोनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 15.03.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा संख्या 43/2014 मे पारित निर्णय दिनांक 30.09.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 प्रस्तुत कर ग्राम दुजोद की भूमि खसरा नम्बर 263/2 पुराना एवं 896 नया बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित भूमि अपीलांट्स के पैतृक हक व कब्जे की रही है। उक्त आराजी श्री चांदसिंह से विरासत के आधार पर नारायणसिंह को प्राप्त हुई थी एवं नारायण सिंह द्वारा सलसिंह को गोद लेते ही सलसिंह का भी उक्त आराजी में नारायण सिंह के बराबर ही पैतृक, संयुक्त एवं अविभक्त हक व हिस्सा हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित हो गया था। इस कारण सम्पूर्ण भूमि का विक्रयपत्र नारायण सिंह को करवाने का कोई हक व अधिकार ही हासिल नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ने बिना किसी अधिकार के उक्त विक्रयपत्र करवाया है। विक्रयपत्र अपीलांट को उनकी पैतृक हक अधिकार एवं कब्जेशुद्दा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सम्पदा से वंचित करने के उदेश्य से नारायण सिंह को अत्यधिक शराब पिलाकर उनके नशे की हालत में वादीगण की बिना स्वीकृति एवं सहमती के वादीगण से पोषिदा रखकर करवाया गया है, जिसके लिए ना तो नारायण सिंह को कोई प्रतिफल राशि अदा की गई थी तथा ना ही नारायण सिंह ने कब्जे का अन्तरण उक्त प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के पिता को किया था। कब्जा आज भी बदस्तुर अपीलांट्स का सम्पूर्ण भूमि पर चला आ रहा है, तथा वादीगण ने उक्त भूमि पर वर्तमान में फसल कर रखी है। इस प्रकार विकयपत्र बिना स्वस्थचित की अवस्था में अनकोनसियस अवस्था में करवाया है, जिसका कानून में कोई महत्व नहीं है, तथा महज कागज का रद्दी टुकड़ा है, जिसके आधार पर प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है, साथ ही विकयपत्र नुमाइशी एवं बिना कब्जे के अन्तरण के है, जिसका कोई विधिक मूल्य नहीं है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेंट्स प्रतिवादीगण बोनाफाईड केता नहीं है, वरन उन्होने दुर्भावना पूर्वक आचरण करते हुए अपीलांट्स को पैतृक अधिकारों से वंचित करने के आशय से नुमाइशी विकयपत्र करवाया है। प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 एवं 3 के पिता वादीगण के गांव के एवं मिलने वाले वादीगण की पारिवारिक पृष्ठभूमि से भलीभांती परिचित व्यक्ति होने कारण उनको वादीगण के पैतृक हक अधिकारों एवं कब्जा की भलीभांती जानकारी थी। प्रतिवादीगण ने जानबुझकर दुर्भावना पूर्वक आचरण रखते हुए विकयपत्र करवाया है। उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्य इस प्रकार के थे, जिनकी जांच विचारण न्यायालय को दावा में साक्ष्य के आधार पर की जानी थी, तब तक कानूनन सम्पदा को प्रीजर्व रखना न्यायालय का दायित्व था। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने विधि के सुस्थापित सिद्वान्तों के विपरित जाकर मनमाना निर्णय किया है, जो निरस्त होने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता ने अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अनावेदक संख्या 1 व अनावेदक संख्या 2 व 3 के पिता व पति के द्वारा अनावेदकगण के पूर्वज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नारायण सिंह से दिनांक 05.11.1980 को उक्त आराजियात को जरिये विक्रय पत्र पंजीबद्व करवाकर क्रय किया गया था जिस पर सम्पूर्ण विक्रय राशि आवेदकगण के पूर्वज नारायण सिंह व सलसिंह को अदा कर दी गई थी आवेदकगण संख्या 1 व 2 व 3 के पति व पिता के पक्ष में निष्पादित करवाते समय आवेदक संख्या 1 के पिता व 2 के पति सलसिंह ने बतौर गवाह विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर किये थे तथा सलसिंह की सहमती से ही उक्त कृषि भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित करवाया गया था। इसलिये आवेदकगण के पिता सलसिंह व आवेदक संख्या 2 को उक्त विक्रय की जानकारी 1980 से ही है इसलिए नारायण सिंह द्वारा विक्रय किये जाने में वादीगण के पिता व पति सलसिंह की पूर्ण सहमती रही है। विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का आवेदन खारिज किया है। जिसमे कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक संख्या 1 व अनावेदक संख्या 2 व 3 के पिता व पति के द्वारा अनावेदकगण के पूर्वज नारायण सिंह से दिनांक 05.11.1980 को उक्त आराजियात को जरिये विक्रय पत्र पंजीबद्व करवाकर क्रय किया गया था जिस पर सम्पूर्ण विक्रय राशि आवेदकगण के पूर्वज नारायण सिंह व सलसिंह को अदा कर दी गई थी आवेदकगण संख्या 1 व 2 व 3 के पति व पिता के पक्ष में निष्पादित करवाते समय आवेदक संख्या 1 के पिता व 2 के पति सलसिंह ने बतौर गवाह विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर किये थे तथा सलसिंह की सहमती से ही उक्त कृषि भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित करवाया गया था। इसलिये आवेदकगण के पिता सलसिंह व आवेदक संख्या 2 को उक्त विक्रय की जानकारी 1980 से ही है इसलिए नारायण सिंह द्वारा विक्रय किये जाने में वादीगण के पिता व पति सलसिंह की पूर्ण सहमती रही है। विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का आवेदन खारिज किया है। जिसमे कोई विधिक त्रुटि नही है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर